

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025 / 195

दायरा दिनांक : 16.09.2025

उनवान

नोन्दीलाल पुत्र रोडूलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. चन्दा लाल पुत्र रोडूलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
2. संजय पुत्र बद्दीलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
3. गौरा बाई विधवा पत्नी ब्रदीलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
4. कल्याण प्रसाद पुत्र रोडूलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान मृतक कायम मुकामान :-
 - 4/1. भागीरथ पुत्र कल्याण प्रसाद, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
 - 4/2. दुलीचन्द पुत्र कल्याण प्रसाद, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
 - 4/3. शांति बाई विधवा पत्नी कल्याण प्रसाद, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
5. कमलेश पुत्र नोन्दीलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
6. महेन्द्र पुत्र नोन्दीलाल, जाति लोधा, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
7. शाखा प्रबन्धक महोदय एस.बी.आई. बैंक अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोंडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित श्री अरुण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोंडेंटगण अनुपस्थित।


(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा



निर्णय

दिनांक : 11.05.2026

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या - 112/दावा/2010 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी चन्दा लाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम नयापुरा पटवार क्षेत्र नयापुरा, तहसील अकलेरा के माल की नई खतौनी संख्या 108 पुरानी 106 की खसरा नं. 248 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 675 की 3 बीघा, खसरा नं. 746 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 747 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 750 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल 5 किता की 10 बीघा 1 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामिलती खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2012 से वाद डिक्री किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।



इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री एवं आदेश पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अधिकारों एवं कानून के विपरीत उक्त फाईनल डिक्री एवं आदेश गलत तौर पर पारित किया गया है जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। क्योंकि रेस्पोंडेंट नं. 1 वादी को उसकी आराजी के बाबत राजस्व कर्मचारियों द्वारा बडा नक्शा बना कर दिया है। जबकि अपीलांट को उसके हिस्से की आराजी से छोटा नक्शा बनाकर दिया गया है। ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा जिला झालावाड में खाता नम्बर 108 की 5 किता की 10 बीघा 1 बिस्वा आराजी स्थित है। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28.04.2012 में केवल प्रार्थी/रेस्पोंडेंट नं. 1 वादी चन्दालाल की आराजी का केवल मात्र विभाजन किया गया है अन्य सहखातेदारों को आराजी बंटवारा प्रस्ताव बनाने से पूर्व उन्हें न तो नोटिस दिया है और न ही अन्य प्रकार से तलब किया गया है और उक्त बंटवारा प्रस्ताव भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार किया गया है। जो कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट नियम 18 से 21 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने के कारण उक्त फाईनल डिक्री एवं आदेश हर तरह से निरस्त होने योग्य है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि तहसीलदार को मौके पर जाकर प्रत्येक सहखातेदार को तलब करके उनकी आराजी का विधिवत तरीके से विभाजन करना चाहिए तथा प्रत्येक खातेदार के खसरा नम्बर को लाल रंग से अलग नक्शे में दर्शाना चाहिए परन्तु उक्त कार्यवाही

(*Signature*)
(शीति समचन्द्र मोना)
 नू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व जमीन अधिकारी कोटा

तहसीलदार द्वारा मौके पर नहीं की गई है। बल्कि तहसीलदार के द्वारा तहसील कार्यालय में ही उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर काउंटर हस्ताक्षर किये गये हैं। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर कानूनी फाईनल डिक्री एवं आदेश पारित किया गया है। जो कानूनन हर तरह से निरस्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण में कल्याण प्रसाद पुत्र देवलाल का स्वर्गवास हो गया है और उसके कायम मुकामान रेस्पोंडेंट 4/1 लगायत 4/3 तक उक्त अपील में बनाये गये हैं तथा विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एडवोकेट की गलती का खामियाजा पक्षकार को किसी भी परिस्थिति में नहीं भुगताया जाना चाहिए। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री एवं आदेश का निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त प्रकरण को विधिवत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित फरमायी जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.08.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि चन्दालाल ने अधीनस्थ न्यायालय में फाईनल डिक्री की अपील पेश की थी। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए, यह एक आज्ञापक विधिक प्रावधान है, जिसकी पालना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री में नहीं की गई। बंटवारा प्रस्ताव पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने तैयार किया तथा वादी की आराजी का ही बंटवारा किया अन्य आराजी का बंटवारा नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित गलत आदेश के विरुद्ध अपील की कोई सीमा नहीं है। आर.आर.डी. 1990 पेज 479 के अनुसार रेस्पोंडेंट द्वारा धारा 5 का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक 16.05.2012 निरस्त की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में डी.एन.जे. 2025 पेज 87, डी.एन.जे. 2025 पेज 808, आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.डी. 1992 पेज 337, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. पेज 1353, आर.आर. डी. 2011 पेज 233, आर.आर.डी. 1990 पेज 479(डी), आर.आर.डी. 2019 पेज 206 की नजीरे उद्धरत की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व जमीन प्रधिकारी, कोटा



विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.05.2012 को प्रकरण में फाईनल डिक्री पारित की गई है। अपीलांट ने प्रकरण में कायम मुकाम बनाये पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अपीलांट ने उक्त दोनों अपीले दिनांक 04.09.2025 को पेश की जो कि मियाद बाहर है। मियाद के बिन्दु पर एक एक दिन के डिले कन्डोन करने का समुचित कारण नहीं बताया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील खारिज होने योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. बी.जे. (16)2009 पेज 1, आर.बी.जे. (16)2009 पेज 208, आर.बी.जे. (18)2011 पेज 133 की नजीरे उद्धरत की।


अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।



अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट क्रम 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम नयापुरा, तहसील अकलेरा के माल की नई खतोनी संख्या 108 पुरानी 106 की खसरा नं. 248 की 18 बिस्वा, खसरा नं. 675 की 3 बीघा, खसरा नं. 746 की 14 बिस्वा, खसरा नं. 747 की 3 बीघा, खसरा नं. 750 की 2 बीघा 9 बिस्वा कुल 5 किता की 10 बीघा 1 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामिल खाते दर्ज रेकार्ड है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा है। आराजी शामलाती खाते में रहने से आये दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तथा करताराज अदा करने में परेशानी आती है तथा वादी अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य सही तरह से नहीं कर पाता है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की की डिक्री फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन किया जाकर वादी का 1/5 हिस्सा विभाजन किया जाकर मौके पर नापकर पृथक खाते दर्ज फरमाकर कब्जा आराजी दिलवाया जाये।

उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय अकलेरा द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.03.2012 से वाद वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में से वादी के हिस्से 1/5 भाग वादी के पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन पत्र तैयार कर प्रस्तुत किये जाने का निर्णय पारित किया।



 (श्री. रामचन्द्र मोना)
 सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पवेन
 राजस्व जमीन प्राधिकारी, कोटा

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार अकलेरा के पत्रांक 733 दिनांक 30.04.2012 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 16.05.2012 से अंतिम डिक्री जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2012 से अप्रसन्न होकर अपीलांत प्रतिवादी क्रम 4 के द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अपील के अवलोकन एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस के आधार पर संदर्भित अपील में पक्षकारों के मध्य मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर विवाद है। अपीलांत का कथन है कि बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अतः विधिक प्रावधानों की पालना के अभाव में पारित की गई अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। दौराने बहस रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28.04.2012 के अवलोकन अनुसार बंटवारा प्रस्ताव पटवारी व आई.एल.आर. द्वारा तैयार कर तहसीलदार अकलेरा को प्रेषित किया गया है, तत्पश्चात तहसीलदार अकलेरा द्वारा इस बंटवारा प्रस्ताव को प्रमाणित करते हुए उस पर हस्ताक्षर किये हैं। बंटवारा प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार अकलेरा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव पर केवल वादी के हस्ताक्षर अंकित है। इससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि बंटवारा प्रस्ताव अपीलांत की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। तहसीलदार अकलेरा द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के आज्ञापक विधिक प्रावधानों की पालना का अभाव रहा है। तहसीलदार अकलेरा द्वारा विधिक प्रावधानों के विरुद्ध तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 28.04.2012 को अपने पत्र दिनांक 30.04.2012 से उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा को प्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विरुद्ध तैयार किये गये इसी बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है, जो विधि विरुद्ध है। विधिक प्रावधानों की पालना के अभाव में पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध किसी भी समय अपील पेश की जा सकती है। इस सन्दर्भ में अपीलांत द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1992 पेज नं. 17 से 19 राम कुमार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के आधार पर हम अपीलांत द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के विधिक प्रावधानों की पालना के अभाव में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री को खारिज करना उचित समझते हैं।





(श्री) रामचन्द्र मोहन।
 नू-प्रमुख अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व जमीन प्राधिकारी कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.05.2012 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार अकलेरा को स्वयं मौके पर भेजकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में पुनः उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाकर प्राप्त करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.06.2026 को उपस्थित होंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (दीप्ति रामचन्द्र मीना)
 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा